State Council of Educational Research & Training, Chhattisgarh, Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596, 2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

क्र./शिक्षक–शिक्षा/30–1/एम.एड./प्रवेश/विभागीय/2026–27 1196 रायपुर, दिनांक 25.03.2026

प्रति,

प्राचार्य,
1. शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान, बिलासपुर
2. शासकीय शिक्षक–शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर

विषय– एम.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2026–28 में प्रवेश बाबत् ।

––000––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर एवं शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर में एम.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2026–28 हेतु प्रवेश नियम आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

दोनों शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित एम.एड. (विभागीय) व एम.एड. (सीधी भर्ती) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन ऑनलाइन SCERT वेबसाइट में भरा जाना है। आवेदनों की सूची बनाने एक्सेल फारमेट में तैयार कर SCERT द्वारा आपको इमेल से भेजा जायेगा। एम.एड.(विभागीय) एवं एम.एड.(सीधी भर्ती) में प्रवेश इस वर्ष चयन परीक्षा आयोजित किया जायेगा। एम.एड. (विभागीय) एवं एम.एड.(सीधी भर्ती) पाठ्यक्रम में चयन प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची बनाकर किया जायेगा। एम.एड.(विभागीय) प्रवेश नियम के अनुसार चयन समिति गठन करना होगा। चयन परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की जाँच संबंधित शिक्षा महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा। चयन परीक्षा आपके महाविद्यालय में सभवतः जून के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रवेश प्रक्रिया की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न – एम.एड. प्रवेश नियम।

(जे.पी.रथ)
प्रभारी संचालक
एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

पृ. क्र./शिक्षक–शिक्षा/30–1/एम.एड./प्रवेश/विभागीय/2026–27/1197 रायपुर, दिनांक 25.03.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
5. संचालक, पंचायत विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर।
6. संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग, इंद्रावती भवन, अटल नगर।
7. कुलसचिव, पं.रविशंकर विश्वविद्यालय,रायपुर/अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर।

प्रभारी संचालक
एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

State Council of Educational Research & Training, Chhattisgarh, Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596, 2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

क्र. / शिक्षक–शिक्षा / 05–41 / एम.एड.(विभागीय) / 2026 / रायपुर, दिनांक ....

एम.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2026–28 हेतु प्रवेश नियम

1. शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान (IASE) बिलासपुर एवं शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर में शैक्षिक सत्र 2026–28 के दौरान एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र में विभागीय एवं सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। SCERT के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र व नियमावली उपलब्ध है। प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय एवं सीधी भर्ती अभ्यर्थी दिनांक 15.04.2026 से 30.04.2026 तक https://scert.cg.gov.in में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेज की हार्ड कापी संलग्न कर ऑनलाइन आवेदन के हॉडकापी के साथ सम्बंधित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में दिनांक 07.05.2026 तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा / स्वयं उपस्थित होकर सीधे जमा करेंगे। शिक्षा महाविद्यालय में आवेदन जमा करने से पूर्व संस्था प्रमुख से आवेदन अग्रेषित कराना तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी से अपने सेवा संबंधित जानकारी का सत्यापन अवश्य करावें।

निम्नलिखित शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपाधि प्राप्त उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैः–

i) **छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक 'ई'** संवर्ग के कार्यरत पात्रताधारी प्राचार्य / व्याख्याता / समकक्ष पदाधिकारी, (सहायक संचालक / विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी) / प्रधान पाठक (पूर्व मा.शाला)।

ii) **छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक 'टी'** संवर्ग के कार्यरत पात्रताधारी प्राचार्य / व्याख्याता प्रधानाध्यापक, पूर्व माध्यमिक शाला / समकक्ष पदाधिकारी (सहायक संचालक / विकासखंड शिक्षा अधिकारी)

iii) **छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक 'LB' (इसमें** 'E' LB **व** 'T' LB **संवर्ग शामिल है।)** संवर्ग के कार्यरत व्याख्याता / प्रधान पाठक (LB पूर्व मा.शाला)।

iv) **छत्तीसगढ़ पंचायत / नगरीय निकाय** संवर्ग के कार्यरत व्याख्याता (पंचायत)

v) सीधी भर्ती हेतु पात्रताधारी अभ्यर्थी (जो सेवा में नहीं है)।

2. **निर्धारित सीटें :–**

क्र	संस्था का नाम	स्कूल शिक्षा विभाग 'ई', 'टी', LB, पंचायत तथा नगरीय निकाय संवर्ग के लिए एम.एड. (विभागीय) प्रवेश हेतु निर्धारित सीटें	सीधी भर्ती की सीटें	कुल योग
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
		प्राचार्य / व्याख्याता / व्याख्याता LB / व्याख्याता (पंचा.) / प्र.पाठक (पूर्व मा.शाला) / प्रधान पाठक (LB पूर्व माध्यमिक शाला)		
1	शास. उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान, बिलासपुर	10	40	50
2	शास. शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर	10	40	50
	कुल योग	**20**	**80**	**100**

3. न्यूनतम अर्हताएँ : उपरोक्त क्रमांक 1.(i) (ii) (iii) (iv) के लिए–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
2. NCTE के नियमानुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक सम्मिलित रूप से) में कम से कम 50% प्राप्तांक के साथ उत्तीण हो। इसमें SC/ST/OBC (क्रिमीलेयर को छोड़कर)/ व दिव्यांग में दृष्टिबाधित/शिथिलांग वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट होगी।
3. स्नातक/डिप्लोमा स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की परीक्षा दो वर्ष या उससे पूर्व उत्तीर्ण की हो।
4. प्रवेश वर्ष के 01 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु **55** वर्ष से अधिक न हो।
5. NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त पत्राचार शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की उपाधि प्राप्त करने वाले भी एम.एड.(विभागीय) प्रवेश के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। समस्त शिक्षकों को चाहे वह विभागीय माध्यम से या पत्राचार से या अपने व्यय पर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त किया हो अर्हता परीक्षा दो वर्ष या इससे पूर्व उत्तीर्ण होने का बंधन लागू होगा।

4. न्यूनतम अर्हताएँ उपरोक्त क्रमांक 1.(v) के लिए :–

1. NCTE द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक खण्डों में सम्मिलित रूप से) में कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी एम.एड. प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इसमें SC/ST/OBC (क्रिमीलेयर को छोड़कर) व दिव्यांग में दृष्टिबाधित/शिथिलांग वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट होगी।
2. NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त पत्राचार शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भी आवेदन कर सकेंगे।
3. अर्हता परीक्षा दो वर्ष या उससे पूर्व उत्तीर्ण होने का बंधन इस वर्ग के लिए नहीं है।
4. अभ्यर्थी की आयु शासन द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अनुसार मान्य होगी।
5. अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।
6. अभ्यर्थी को अंतिम संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी आचरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. प्रवेश हेतु शर्ते :–

1. स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक 'ई', स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक 'टी', स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक 'LB' संवर्ग एवं पंचायत व नगरीय निकाय संवर्ग के अभ्यर्थियों का चयन अभ्यर्थी से संबंधित क्षेत्र के शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में संचालित एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित चयन **परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गयी प्रवीणता सूची के आधार** पर किया जायेगा। NCTE विनियम 2014 के परिशिष्ट 5 के विनियम 4.1 के अनुसार एम.एड. पाठ्यक्रम के लिए बी.एड., बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड./डी.एल.एड. उपाधिधारी पात्र है।
2. शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान (IASE), बिलासपुर व शास. शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर में एम.एड. (विभागीय) के चयनित छात्राध्यापकों का वेतन उनके पूर्व पदस्थ संस्था से आहरित होगा।
3. आवेदकों (सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों को छोड़कर) के लिए किसी प्रकार की छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं होगा।

4. चयनित समस्त अभ्यर्थियों को संबंधित शिक्षा महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार शुल्क आदि का भुगतान करना होगा।
5. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. प्रवेश लेने के उपरांत एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण नहीं किया जावेगा।
7. एम.एड.(सीधी भर्ती) पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण प्रवेश के समय छ.ग. शासन द्वारा जारी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए निर्धारित आरक्षण के अनुसार होगा।
8. एम.एड. (विभागीय) में यदि विभागीय सीटें रिक्त रहती है तो महाविद्यालय एम.एड. सीधी भर्ती के सीटों में एवं सीधी भर्ती की सीटे रिक्त रहती है तो विभागीय सीटों में परस्पर परिवर्तन कर सभी सीट भरने की कार्यवाही कर सकेगी।
9. एम.एड. (सीधी भर्ती) एवं विभागीय शिक्षकों के लिए चयन का आधार एम.एड. हेतु आयोजित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गई प्रावीण्य सूची होगा। विभागीय एवं सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची पृथक–पृथक बनाई जायेगी। एम.एड.(विभागीय) एवं एम.एड. (सीधी भर्ती) में आई.ए.एस.ई. बिलासपुर एवं सी.टी.ई. रायपुर के लिए पृथक–पृथक प्रावीण्य सूची बनाई जायेगी। विभागीय एवं सीधी भर्ती में अभ्यर्थियों के चयन परीक्षा के प्राप्तांक समान होने के स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी। एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित चयन परीक्षा छ.ग. के अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 40 प्रतिशत प्राप्तांक तथा छ.ग. के SC/ST/OBC/FF/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग वर्ग/संवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत प्राप्तांक आवश्यक है।
10. चयन परीक्षा शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर, शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन, संस्थान बिलासपुर में आयोजित किया जायेगा। चयन परीक्षा की संभावित तिथि जून के दूसरे सप्ताह में है। परीक्षा तिथि में सूचना एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट में दी जायेगी। अभ्यर्थी स्वयं के व्यय में इस चयन परीक्षा में सम्मिलित होंगे सम्मिलित अभ्यर्थियों को इसके लिए कोई टीए/डीए शासन द्वारा देय नहीं होगा।
11. एम.एड. की चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम व अंक विभाजन निम्नानुसार होगा :–

क्रमांक	चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम	अंक
1	सामान्य मानसिक योग्यता	20 अंक
2	सामान्य ज्ञान (समसामयिक मुद्दे)	10 अंक
3	शिक्षण अभिरूचि	10 अंक
4	भाषा बोध (हिन्दी व अंग्रेजी)	30 अंक
5	मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र	30 अंक

12. चयन परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों के रोल नंबर की सूचना SCERT_रायपुर के वेबसाइट में दी जायेगी। चयन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र उन्ही उम्मदवारों/शिक्षक हेतु जारी किया जावेगा जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की हार्डकापी संबंधित शिक्षा महाविद्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ डाक अथवा सीधे जमा किया है।
13. चयन परीक्षा जिन अभ्यर्थियों का चयन होगा उनके आवेदनों व दस्तावेजों का प्रारंभिक जांच महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।
14. सभी प्रकार के आवेदक आवेदन फार्म निःशुल्क भर सकेंगे।
15. आवेदक के विरूद्ध कोई जांच अपराधिक मामला/दण्ड/निलंबन की कार्यवाही लंबित न हों या प्रचलन में न हो।

6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि :–

(1) **क्रमांक 1, (i), (ii), (iii), (iv) के लिए –**

स्कूल शिक्षा विभाग 'ई', स्कूल शिक्षा विभाग 'टी', स्कूल शिक्षा विभाग 'LB' संवर्ग एवं पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग एवं सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र में SCERT रायपुर के वेबसाइट https://scert.cg.gov.in में दिनांक 15.04.2026 से दिनांक 30.04.2026 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही इस आवेदन का प्रिंट आउट (हार्डकापी) निकालकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित संस्था में दिनांक 07.05.2026 तक अनिवार्यतः जमा करना होगा।

- शिक्षकों को अपने कार्यरत संस्था प्रमुख से आवेदन अग्रेषित कराना होगा तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी से अपनी सेवा से संबंधित जानकारी सत्यापित करानी होगी। इसके अभाव में आवेदन अमान्य किये जायेंगे।

शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर से संबद्ध जिले :–

1. रायपुर 2. महासमुंद 3. दुर्ग 4. राजनांदगांव 5. कवर्धा 6. बस्तर
7. दंतेवाड़ा 8. धमतरी 9. कांकेर 10. बेमेतरा 11. बलौदाबाजार 12.बालोद
13.गरियाबंद 14.सुकमा 15. बीजापुर 16. कोण्डागांव 17. नारायणपुर
18. खैरागढ़ –छुईखदान– गड़ई 19. मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी।

शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान, बिलासपुर से संबद्ध जिले :–

1. बिलासपुर 2. कोरबा 3. जांजगीर 4. रायगढ़ 5. जशपुर
6. सरगुजा 7. सूरजपुर 8. बलरामपुर 9. कोरिया 10. मुंगेली
11. सक्ति 12. गौरेला–पेंड्रा मरवाही 13. मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी – भरतपुर
14. सारंगढ़ – बिलाईगढ़

(2) **क्रमांक 1 (v) के लिए :–**

सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 15.04.2026 से 30.04.2026 तक SCERT के वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस आवेदन का प्रिंट आऊट प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ वे जिस महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, दिनांक 07.05.2026 तक संबंधित संस्था के प्राचार्य को अपना आवेदन पत्र जमा करेंगे।

(3) आवेदन पत्र के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड. तथा आयु संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ भी अभ्यर्थियों को संलग्न करनी है। सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी जो तहसीलदार से निम्न पद का न हो, द्वारा प्रमाणित छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए), PH प्रमाण पत्र अंतिम अध्ययन किये गये संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त आचरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना हैं। प्रवेश के समय मूल टी.सी. जमा करना होगा।

(4) कार्यालय संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर को सीधे भेजे गये किसी भी श्रेणी के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(5) प्रत्येक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय द्वारा अपने क्षेत्र के अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जावेगा।

(6) चयन परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदनों का स्कूटनी किया जायेगा। आवेदनों के स्कूटनी के उपरांत प्रवेश प्रक्रिया एक समिति गठित की जायेगी। चयन समिति में संबंधित शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य अध्यक्ष होंगे तथा संचालक, परिषद् के द्वारा नामित दो प्रतिनिधि होंगे। शेष प्रतिनिधियों में से एक–एक स्कूल शिक्षा विभाग 'टी' एवं स्कूल शिक्षा विभाग 'ई' से होंगे जो स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत किया जायेंगे।

(7) एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट में जारी करने के लिए दोनों संस्थाओं को चयन सूची व सभी प्रतीक्षा सूची को चयन सूची जारी करने के दिवस को ही भेजना होगा तथा ई–मेल पता scertcg@gmail.com पर ई–मेल करना होगा। अभ्यर्थी अपना चयन SCERT के बेवसांइट https://scert.cg.gov.in में भी देख सकते हैं।

(8) **जानकारी सत्यापित करने वाले अधिकारी के लिए चेक लिस्ट –**

I. अभ्यर्थी की आयु प्रवेश वर्ष के 01 जुलाई 2026 को 55 वर्ष से अधिक न हो।

II. अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई जांच/अपराधिक मामला/दण्ड/निलंबन की कार्यवाही लम्बित न हो।

III. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति/पदोन्नति तिथि से संबंधित दस्तावेज की जांच अवश्य करें।

IV. NCTE के द्वारा निर्धारित अर्हता परीक्षा में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इसमें SC/ST/OBC (क्रिमीलेयर को छोड़कर)/ दिव्यांग के अभ्यर्थी को 5% की छूट का प्रावधान रहेगा।

V. SC/ST/OBC (क्रिमीलेयर को छोड़कर) वर्ग से अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक में छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। दृष्टिबाधित/शिथिलांग आवेदकों को सक्षम अधिकारी का तत्संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

VI. यह अवश्य जांच करे कि शिक्षक ने अर्हता परीक्षा सत्र 2026–28 के दो वर्ष या इससे पूर्व उत्तीण किया है अथवा नही। यदि अर्हता परीक्षा 1 वर्ष या इसी वर्ष उत्तींण किया हो तो उस शिक्षक का आवेदन अग्रेषित न करें।

(9) **संस्था प्रमुख परिवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षकों के आवेदन को अग्रेषित न करें।**

प्रवेश के समय चाहे गये प्रमाण–पत्र पूर्ण एवं सही व नियमानुसार पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी। मूल प्रमाण–पत्र की जाँच का प्रवेश के समय संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा किया जावेगा। जाँच के दौरान प्रमाण–पत्र सही व नियमानुसार न पाये जाने पर आवेदक को प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी और इस संबंध में संबंधित प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा। प्रवेश हेतु प्रशिक्षार्थियों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों के संबंध में निर्णय एवं नियमों की व्याख्या करने के लिए संचालक, एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर अंतिम रूप से प्राधिकारी होगा। यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संचालक, एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

उपरोक्त प्रवेश प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP(C) क्रमांक 18816–18817/2022 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा।

(जे.पी.रथ)
प्रभारी संचालक
एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

एम.एड. (विभागीय)/एम.एड.(सीधी भर्ती)/बी.एड. (विभागीय) सत्र 2026-28 में प्रवेश के लिए संभावित समय-सारणी

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित तिथि	अभ्यर्थी द्वारा सीधे/डाक से संबंधित महाविद्यालय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जाँच की अंतिम तिथि	चयन परीक्षा की संभावित तिथि	चयन समिति की बैठक की तिथि	सूची जारी करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बी.एड. (विभागीय)	15/04/26 से 30/04/26 तक	07/05/26	28/05/2026	-	10/06/26 तक	18/06/2026 तक दावा आपत्ति हेतु तथा दिनांक 22.06.2026 तक चयन सूची जारी करना।
2	एम.एड. (विभागीय)	15/04/26 से 30/04/26 तक	07/05/26	28/05/2026	जून 2026 के द्वितीय सप्ताह में	15/07/25 तक	जुलाई 2026 के तृतीय सप्ताह तक प्रथम सूची जारी करना।
3	एम.एड. (सीधी भर्ती)	15/04/26 से 30/04/26 तक	07/05/26	28/05/2026	जून 2026 के द्वितीय सप्ताह में	15/07/25 तक	जुलाई 2026 के तृतीय सप्ताह तक प्रथम सूची जारी करना।

नोट - अंकित समस्त तिथियां परिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। तिथियों में परिवर्तन की जानकारी एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट https://scert.cg.gov.in में दिया जायेगा।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. हेमन्त कुमार साव)
प्रकोष्ठ प्रभारी
शिक्षक शिक्षा
एस.सी.ई.आर.टी.ए छ.ग. रायपुर